न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी श्री प्रेमाराम परमार, आर.ए.एस.

अपील संख्या 37/2014

सरोजनी देवी पुत्री राजाराम पत्नी शिवदर्शन जाति बिश्नोई निवासी सुखचेन तहसील अबोहर जिला फाजिल्का (पंजाब) । —अपीलार्थी

बनाम

1. इन्द्रपाल पुत्र राजाराम जाति बिश्नोई निवासी 3 एलएनपी गणेशेवाला तहसील व जिला श्रीगंगानगर ।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व श्रीगंगानगर ।

—रेस्पोडेन्ट

अपील अर्न्तगत धारा 225 रा0का0अ0 1955

विरूद्ध आदेश उपखंड अधिकारी सादुलशहर दिनांक 20.02.2014

उपस्थितिः—

श्री मोहनलाल पूनिया अभिभाषक अपीलार्थी

श्री मोहनलाल माहर अभिभाषक रेस्पो.

श्री इकबालसिंह सिद्धु, राजकीय अधिवक्ता

निर्णय दिनांक 04.05.2018

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि वादीगण/प्रार्थी /रेस्पो. संख्या 1 ने एक वाद न्यायालय उपखंड अधिकारी श्रीगंगानगर के समक्ष पेश किया जिसके साथ रा.का.अ. की धारा 212 का प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि अप्रार्थी के विरूद्ध वाद के निर्णय तक इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावे कि वह वादी के कब्जा काश्त की भूमि चक 1 जैड के मु.नं. 13 के कि.न. 1 से 4, चक 3 एलएनपी के मु.न. 32 के कि.नं. 1 से 4 व 5, मु.नं. 16 के कि.नं. 16 की कुल 9 बीघा भूमि के वादी के कब्जा काश्त में हस्तक्षेप नहीं करे एवं बेदखल न करें एवं चक 1 जैड के खाता संख्या 24/25, 38/34, चक 4 डी छोटी के खाता

4/5/18

संख्या 47/45, चक 3 एलएनपी के खाता संख्या 40/42 व 21/23 में राजाराम के नाम से दर्ज आराजी 10.236 है0 भूमि में से किसी रकबा को रहन बैय अथवा मुन्तकिल नहीं करें। अप्रार्थी संख्या 1 ने जबाव प्रार्थना पत्र पेश कर कथन किया कि प्रार्थी ने मृतक राजाराम के वारिसान को पक्षकार नहीं बनाया है। प्रार्थी का किसी प्रकार से मामला नहीं बनता है। अतः प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे।

सुनवाई करने के पश्चात अधी.न्यायालय ने दिनांक 20.02.2014 को प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए विवादित भूमि की वाद के निर्णय तक मौका व रेकार्ड की यथास्थिति रखने के आदेश दिये। उक्त आदेश के विरूद्ध अपीलार्थी ने यह अपील पेश की है।

विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी ने अपनी बहस में मुख्य रूप से अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि प्रार्थी रेस्पो. 2/8 हिस्सा के बाबत वाद पेश किया जिसके साथ धारा 212 आरटीए का प्रार्थना पत्र पेश किया एवं समस्त भूमि के सम्बन्ध में अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करवाने का निवेदन किया एवं अधी.न्यायालय ने समस्त भूमि के सम्बन्ध में अस्थाई निषेधाज्ञा जारी कर दी। प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में समझोते में भूमि मिलना बताया है लेकिन इस बाबत कोई दस्तावेजी पेश नहीं किया है। प्रार्थी का किसी प्रकार से मामला नहीं बनता था फिर भी प्रार्थना पत्र स्वीकार कर लिया। अतः निवेदन है कि अपील अपीलांट स्वीकार कर अपीलाधीन आदेश निरस्त किया जावे। अपने पक्ष के समर्थन में वकील अपीलांट ने आरआरडी 2005 पेज 450, 781 की नजीरे पेश की।

विद्वान अभिभाषक रेस्पो. ने अपनी बहस में कथन किया कि वादी का विवादित भूमि में हिस्सा बनता है एवं वाद के निर्णय से पूर्व यदि भूमि के मौका एवं रेकार्ड में कोई परिवर्तन हो जाता है तो वादी के वाद का औचित्य ही समाप्त हो जायेगा। अधी.न्यायालय ने प्रार्थना पत्र स्वीकार कर जो आदेश दिया है उसमें कोई त्रुटि नहीं होने से अपील खारिज की जावे। अपने पक्ष के समर्थन में वकील रेस्पो. ने आरआरडी 2017 पेज 650 की नजीर पेश की।

बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया।

4/5/18

अपील अधी.न्यायालय उपखंड अधिकारी सादुलशहर के निर्णय दिनांक 20.02.2014 के विरूद्ध पेश की गई है जिसमें अधी.न्यायालय द्वारा मौका एवं रेकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने के आदेश दिये हैं जबकि अपीलांट सरोजनी देवी के पिता की विवादित आराजी में हक हिस्सा होने से जारी अस्थाई निषेधाज्ञा का आदेश अपास्त करने का अनुतोष चाहा है।

अधी.न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया। अपीलाधीन आदेश की विवादित भूमि राजाराम के नाम दर्ज होना रेकार्ड से प्रमाणित है अन्य तथ्य कि राजाराम की मृत्यु उपरांत विवादित आराजी रा.का.अ. 1955 की धारा 40 के प्रावधानुसार devolve होने योग्य है। परन्तु प्रकरण हाजा में Litigation लम्बित होने से विवादित भूमि के Key Parson रजीराम की मृत्यु उपरांत उसी के नाम दर्ज है जो लम्बित Litigation के निर्णय तक रेकार्ड एवं मौके की यथास्थिति का निर्णय विधि अनुकूल है। अभिभाषक रेस्पो. ने जाहिर किया कि जैसा कि विवादित आराजी में रेस्पो. का क्या हिस्सा होगा, रेस्पो0 की क्या Legal Locus-Standai होगी। तमाम विवादो का निस्तारण दावे, जबाव दावे एवं उनसे बनी तनकीयात एवं उन पर संग्रहित होने वाली साक्ष्यों से तनकियात विनिश्चय होकर अपीलांट एवं रेस्पो के हक हकूकों का निर्धारण होगा। इस दौरान Multiplicity of Litigation को Avoid करने के लिए मौके एवं रेकार्ड की यथास्थिति कायम रखना उचित होने से अपील अपीलांट खारिज की जाती है एवं अधी.न्यायालय का निर्णय दिनांक 20.02.2014 यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 04.05.2018 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

4/5/18

(प्रेमाराम परमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगगांनगर